


आर.एस. विश्वकर्मा
आई.ए.एस.
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन



कक्ष क्र.254, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771-4080254, फैक्स : 0771-2221254
ई-मेल का पता : vkaramars@ias.nic.in
अर्ध शास. पत्र क्र. 98 वि.वि.लो.स्वा.यां. 201
दिनांक. 06.08.11

वित्त विभाग
विमानन विभाग
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



स्थाई निर्देश
स0 2/2011

प्रति,
प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
नीर भवन, रायपुर ।

विषय :- विभिन्न कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जारी स्थाई निर्देश के संबंध में ।

—00—

लोक निर्माण नियमावली में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इसका कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा सभी क्लेम उसके पूर्व सभी निराकृत होना चाहिए । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना पूर्ण की जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है । जिससे कई कार्य खुले हैं तथा यह स्पष्ट नहीं होता है कि विभाग ने कितने काम पूर्ण किये हैं तथा कितने हस्तांतरित हो गये हैं ।


छोटी मोटी कमियों के कारण योजना स्थानीय निकायों, नगर पंचायत/ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की जा रही है । ऐसी योजना जिनके कार्य पूर्ण हो गये हैं उन्हें विभाग प्राथमिकता से हस्तांतरित करें तथा प्रति माह प्रमुख अभियंता निर्धारित 23 कॉलम के प्रोफामा में भेजे । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

T.S./A.S./G.S./E.S./
19/8/11

(आर0एस0विश्वकर्मा)

पृष्ठाकन क्रमांक १७ /स०लो०स्वा०यां०/2011 रायपुर दिनांक 05/08/2011
प्रतिलिपि :-

- 1/ मान० मंत्री जी के विशेष सहायक की ओर सूचनार्थ ।
 - 2/ मुख्य अभियंता, रायपुर, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
 - 3/ मुख्य अभियंता, विद्युत/यांत्रिकी रायपुर
 - 4/ समस्त अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़
 - 5/ समस्त कार्यपालन अभियंता खंड/परियोजना खंड
 - 6/ कार्यालय प्रमुख अभियंता (MIS शाखा रायपुर)
 - 7/ परिपत्र फाइल में लगाने हेतु
 - 8/ कार्यालयीन प्रति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही



सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग